

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2016/चैत्र 18, 1938

No. 130]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2016/ CHAITRA 18, 1938

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016

दिशानिर्देश सं. 1-सीए (7)/03/2016. – भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्थान के सदस्यों द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है –

- (i) संस्थान का कोई व्यवसायरत सदस्य, ऐसी किन्हीं सेवाओं के क्षेत्र में, जो अनन्य रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए आरक्षित हैं, जैसे कि संपरीक्षा और अनुप्रमाणन सेवाएं, किसी संगठन या वृत्तिक सेवाओं के उपयोक्ता द्वारा जारी किसी निविदा का प्रत्युत्तर नहीं देगा। तथापि, ऐसा निर्बंधन वहां लागू नहीं होगा, जहां ऐसे कार्य की न्यूनतम फीस स्वयं निविदा दस्तावेज में विहित की गई है या जहां ऐसे क्षेत्र चार्टर्ड एकाउंटेंटों के साथ अन्य वृत्तिकों हेतु भी खुले हैं।
- (ii) यह दिशानिर्देश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बी. सागर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./10]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2016

Guideline No. 1-CA(7)/03/2016.—In exercise of the powers conferred on it under Item (1) of Part II of the Second Schedule of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby issue the following guidelines for compliance by the members of the Institute –

- (i) A member of the Institute in practice shall not respond to any tender issued by an organization or user of professional services in areas of services which are exclusively reserved for chartered accountants, such as audit and attestation services. However, such restriction shall not be applicable where minimum fee of the assignment is prescribed in the tender document itself or where the areas are open to other professionals along with the Chartered Accountants.
- (ii) This Guideline shall come into force with immediate effect.

V. SAGAR, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./10]